

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव, राजस्व,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाद,
फर्रुखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज,
रामपुर, संतकबीर नगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, उन्नाव,
रामपुर, बलरामपुर, एटा ।

राजस्व अनुभाग-10
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2008

आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के प्रस्तर-18 में दैवी आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था दी गयी है । इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-3665/1-10-2008-12 (73)/2008 दिनांक 29-7-2008 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिसके प्रस्तर-2 में आपदा राहत निधि से बाढ़ संबंधी कार्यों की अनुमन्यताओं के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए मार्गदर्शिका के सुसंगत अंशों के उद्धरणों का भी उल्लेख किया गया है ।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आपके जनपदों में ऐसी परिसम्पत्तियों जिनका उल्लेख आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स की मद संख्या-18 तथा इसी मद के Appendix में किया गया है, क्षतिग्रस्त हुई होंगी । चूंकि 45 दिन की अवधि के अन्दर ही तात्कालिक प्रकृति की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है अतः इस संबंध में मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी ।

- (1) अपने जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हीकरण/निर्धारण करना तथा सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को सूचित करना ।

- (2) आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स की मद संख्या-18 एवं इसके Appendix में उल्लिखित परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की क्षति का सर्वेक्षण एवं आंकलन किया जाना।
- (3) निर्धारित/चिन्हित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की सूची को अन्तिम रूप देते हुए जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना।
- (4) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्तानुसार तैयार की गई सूची का [परीक्षण/सत्यापन](#) कर यह प्रमाणित करना कि उक्त परिसम्पत्तियाँ एवं प्रस्तावित कार्य "बाढ़ग्रस्त क्षेत्र" के हैं।
- (5) अनुमोदित सूची के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रारम्भिक आंकलन तैयार करना तथा उसे जिलाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- (6) जिलाधिकारियों द्वारा उक्त सूची में उल्लिखित 20 लाख रु० तक कार्यों पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना तथा 20 लाख से ऊपर परन्तु रु० एक करोड़ तक के कार्यों की सूची संस्तुति सहित मण्डलायुक्त को प्रेषित करेगा तथा रु० एक करोड़ से ऊपर के कार्यों की सूची संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति राहत आयुक्त को प्रेषित करेंगे।
- (7) मण्डलायुक्तों द्वारा एक करोड़ तक के कार्यों को मण्डल स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 29-7-2008 में निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत करायेंगे।

3- ग्रामीण क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों की कटान के कारण क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले सड़कों एवं बन्धों के [पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत](#) के कार्यों के साथ-साथ गाइडलाइन्स के मद सं०-18 में उल्लिखित अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की [मरम्मत/पुर्ननिर्माण](#) संबंधित कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

4- उपरोक्त सभी प्रक्रियात्मक कार्य दिनांक 22-09-2008 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जायें तथा प्रारम्भिक आंकलन के आधार पर शासन से आवश्यक धनराशि की मांग कर ली जाये।

राहत आयुक्त द्वारा 22-09-2008 तक प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों पर 25-09-2008 तक 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी ।

5- विस्तृत आंकलन तथा टेण्डर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने की कार्यवाही 06-10-2008 तक सम्बन्धित विभागों के द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये तथा निर्माण कार्य 20-10-2008 तक अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये । टेण्डर स्वीकृति के तत्काल पश्चात अवशेष धनराशि की मांग तक शासन से कर ली जायेगी तथा राहत आयुक्त द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर अवशेष धनराशि जिलाधिकारियों को अवमुक्त कर दी जायेगी ।

6- कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 30-11-2008 से 15-12-2008 के बीच समस्त कार्य अनिवार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये ।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव, राजस्व ।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/पंचायती राज, नगर विकास विभाग ।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों में युद्ध स्तर पर उक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही कराते हुए उक्त संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव, राजस्व ।